मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 67
21.07.2025 को उत्तर के लिए

विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व

67. श्री दामोदर अग्रवालः
डॉ. मन्ना लाल रावतः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा कार्यान्वित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) पहल का ब्यौरा क्या है;
(ख) सरकार द्वारा संचालित ईपीआर पोर्टल के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों (पीआईबीओ) का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(ग) ईपीआर पहल के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड स्वामियों (पीआईबीओ) द्वारा उत्पन्न और पुनर्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का कंपनीवार, वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने ईपीआर के अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट पुनर्चक्रण के दौरान अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में ढिलाई बरतने वाली कंपनियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निम्नलिखित अपशिष्ट धाराओं के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) ढांचे को अधिसूचित किया है:

- फरवरी, 2022 में अधिसूचित प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट
- जुलाई, 2022 में अधिसूचित अपशिष्ट टायर
- अगस्त, 2022 में अधिसूचित बैटरी अपशिष्ट
- नवंबर, 2022 में अधिसूचित ई-अपशिष्ट
- सितंबर, 2023 में अधिसूचित प्रयुक्त तेल
- जनवरी, 2025 में अधिसूचित एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल्स
- अप्रैल, 2025 में अधिसूचित निर्माण एवं तोड़फोड़ अपशिष्ट
- जुलाई, 2025 में अधिसूचित अलौह धातु स्क्रैप

(ख): प्लास्टिक पैकेजिंग पर केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल पर आज तक कुल 51,355 उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक (पीआईबीओ) पंजीकृत हैं जिनमें से 22,974 पीआईबीओ संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के साथ पंजीकृत हैं। पंजीकृत पीआईबीओ का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत कुल 3606 उत्पादक हैं। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पंजीकृत उत्पादकों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है। प्रयुक्त तेल के प्रबंधन हेतु ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत कुल उत्पादकों की संख्या 48 है। प्रयुक्त तेल के प्रबंधन हेतु पंजीकृत उत्पादकों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है। बेकार टायर प्रबंधन के लिए ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत कुल 247 उत्पादक हैं। अपशिष्ट टायर प्रबंधन के लिए ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत उत्पादकों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-IV में दिया गया है। ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत कुल 9163 उत्पादक हैं। ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पंजीकृत उत्पादकों का राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-V में दिया गया है।

(ग): वर्ष 2022 से पंजीकृत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा एक सौ तिरपन लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पंजीकृत पीआईबीओ के ईपीआर उत्तरदायित्व के अंतर्गत आने वाले प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट और उनके ईपीआर उत्तरदायित्वों की पूर्ति के अंतर्गत पुनर्चक्रित प्लास्टिक पैकेजिंग का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

वित्तीय वर्ष (एफवाई)	पीआईबीओ की संख्या	ईपीआर लक्ष्य (लाख टन)	पूरा किया गया ईपीआर लक्ष्य (लाख टन)
2022-23	12,602	27.22	24.96
2023-24	37,478	61.52	46.36
2024-25	48,606	78.64	एआर भरने की अंतिम तिथि 31-7-2025 है

(घ) और (ङ): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने चूककर्ता पीआईबीओ/प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं (पीडब्ल्यूपी) के विरुद्ध निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे उन पीडब्ल्यूपी की सहमति रद्द करें जो ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं।
ii. दिनांक 26.10.2023 को गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के एसपीसीबी को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल पर संचालन के लिए निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप सृजित नहीं होने वाले ईपीआर प्रमाणपत्रों की मात्रा के अनुरूप पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) लगाएं और उल्लंघन करने वाले पीडब्ल्यूपी के खिलाफ लागू कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई भी करें।
iii. दिनांक 20.11.2023 को एसपीसीबी/पीसीसी को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने राज्य में पंजीकृत पीडब्ल्यूपी की प्रसंस्करण सुविधाओं की पुनः जांच करें और पंजीकृत पीडब्ल्यूपी की ईपीआर प्रमाण-पत्र सृजन प्रक्रिया की नियमित निगरानी करें ताकि यह सुनिश्चित किया

जा सके कि पीडब्ल्यूपी द्वारा निर्मित ईपीआर प्रमाण-पत्र ईपीआर दिशानिर्देशों के खंड 12.4 के अनुसार ईआरपी पोर्टल पर पंजीकृत सीपीसीबी मार्गदर्शन मैनुअल में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

iv. वित्तीय वर्ष 2022-23 और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर ईपीआर उत्तरदायित्वों को पूरा न करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत दिनांक 30.12.2024 को 14081 पीआईबीओ को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया है।

v. सीपीसीबी लेखा परीक्षा निष्कर्षों के अनुसार 90 चूककर्ता पीडब्ल्यूपी इकाइयों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एसपीसीबी/पीसीसी को क्रमशः दिनांक 14.01.2025, 21.02.2025 और 8-04-2025 को निर्देश जारी किए गए हैं।

vi. ईपीआर प्रमाण-पत्र सृजन प्रक्रिया में दुर्भावनापूर्ण प्रथाओं को अपनाने के लिए 11 पीडब्ल्यूपी को दिनांक 08.04.2025 को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया।

*****

अनुलग्नक-I

प्लास्टिक पैकेजिंग संबंधी केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ) का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ब्रांड मालिक	उत्पादक	आयातक
1.	आंध्र प्रदेश	48	155	140
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	5
3.	असम	17	112	67
4.	बिहार	3	37	52
5.	चंडीगढ़	0	7	16
6.	छत्तीसगढ	9	40	53
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	16	273	168
8.	दिल्ली	20	324	1547
9.	गोवा	1	31	63
10.	गुजरात	110	794	2606
11.	हरियाणा	11	136	508
12.	हिमाचल प्रदेश	11	156	94
13.	जम्मू एवं कश्मीर	9	111	51
14.	झारखंड	2	3	87
15.	कर्नाटक	110	343	780
16.	केरल	30	132	205
17.	लद्दाख	0	1	0
18.	मध्य प्रदेश	52	204	208
19.	महाराष्ट्र	76	645	5333
20.	मणिपुर	0	0	3
21.	मेघालय	3	2	6
22.	मिजोरम	0	0	4
23.	नागालैंड	0	0	2
24.	ओडिशा	6	21	76
25.	पांडिचेरी	4	81	23
26.	पंजाब	23	133	653
27.	राजस्थान	24	202	389
28.	सिक्किम	0	1	3
29.	तमिलनाडु	74	96	955
30.	तेलंगाना	32	222	329
31.	त्रिपुरा	1	5	14
32.	उत्तर प्रदेश	59	305	811
33.	उत्तराखंड	64	301	86
34.	पश्चिम बंगाल	35	240	1673
	कुल	850	5114	17010

*****

अनुलग्नक-II

बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत उत्पादकों का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**वित्तीय वर्ष 2023-2024**	**वित्तीय वर्ष 2024-2025**	**वित्तीय वर्ष 2025-2026 (अब तक)**
1.	आंध्र प्रदेश	50	16	1
2.	असम	5	1	1
3.	बिहार	6	3	0
4.	चंडीगढ़	6	3	0
5.	छत्तीसगढ़	4	6	4
6.	दादरा एवं नगर	1	1	0
7.	दमन एवं दीव	5	1	1
8.	दिल्ली	411	139	48
9.	गोवा	5	1	0
10.	गुजरात	130	66	19
11.	हरियाणा	250	97	32
12.	हिमाचल प्रदेश	15	6	0
13.	जम्मू एवं कश्मीर	1	1	0
14.	झारखंड	4	1	1
15.	कर्नाटक	194	109	39
16.	केरल	26	16	4
17.	मध्य प्रदेश	33	19	8
18.	महाराष्ट्र	483	283	80
19.	उड़ीसा	9	1	1
20.	पांडिचेरी	4	2	3
21.	पंजाब	19	12	4
22.	राजस्थान	46	25	5
23.	तमिलनाडु	159	83	25
24.	तेलंगाना	45	27	7
25.	उत्तर प्रदेश	176	77	30
26.	उत्तराखंड	18	6	0
27.	पश्चिम बंगाल	121	45	20
	कुल	2226	1047	333

*****

अनुलग्नक-III

प्रयुक्त तेल के प्रबंधन के लिए ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत उत्पादकों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**संख्या**
1	छत्तीसगढ	1
2	दादरा और नगर हवेली	1
3	दिल्ली	3
4	गुजरात	4
5	हरियाणा	5
6	झारखंड	1
7	कर्नाटक	3
8	महाराष्ट्र	18
9	तमिलनाडु	6
10	तेलंगाना	1
11	उत्तर प्रदेश	2
12	पश्चिम बंगाल	3
कुल		48

*****

अनुलग्नक-IV

<u>अपशिष्ट टायर प्रबंधन</u> के लिए ईपीआर पोर्टल पर पंजीकृत उत्पादकों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	7
2.	दादरा एवं नगर हवेली	1
3.	दमन एवं दीव	1
4.	दिल्ली	16
5.	गुजरात	52
6.	हरियाणा	25
7.	जम्मू एवं कश्मीर	2
8.	झारखंड	1
9.	कर्नाटक	5
10.	केरल	4
11.	मध्य प्रदेश	2
12.	महाराष्ट्र	49
13.	पंजाब	21
14.	राजस्थान	9
15.	तमिलनाडु	24
16.	तेलंगाना	9
17.	उत्तर प्रदेश	11
18.	उत्तराखंड	4
19.	पश्चिम बंगाल	4
	कुल	247

******

अनुलग्नक-V

ईपीआर पोर्टल ई-अपशिष्ट प्रबंधन पर पंजीकृत उत्पादकों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	68
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	23
4.	बिहार	14
5.	चंडीगढ़	18
6.	छत्तीसगढ	27
7.	दादरा एवं नगर हवेली	13
8.	दमन एवं दीव	6
9.	दिल्ली	1554
10.	गोवा	20
11.	गुजरात	625
12.	हरियाणा	761
13.	हिमाचल प्रदेश	37
14.	जम्मू एवं कश्मीर	14
15.	झारखंड	11
16.	कर्नाटक	889
17.	केरल	147
18.	मध्य प्रदेश	91
19.	महाराष्ट्र	2156
20.	मणिपुर	1
21.	मेघालय	1
22.	मिजोरम	1
23.	नागालैंड	1
24.	ओडिशा	34
25.	पंजाब	123
26.	राजस्थान	181
27.	तमिलनाडु	1024
28.	तेलंगाना	271
29.	त्रिपुरा	1
30.	संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी	10
31.	उत्तर प्रदेश	619
32.	उत्तराखंड	42
33.	पश्चिम बंगाल	379
	कुल	9163

*****